

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
 7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
 8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
 10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
 11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 50प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
 13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 15. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
 16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियाँ तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीग परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
hysk
(एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव।

संख्य 713/2016/2589(1)/69-1-14, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
hysk
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ न0पं0 का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण	परियोजना की कुल लागत	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	सिद्धार्थनगर	न0पा0प0, बोसी	वार्ड नं 14 मो0 अशोक नगर में अमर नाथ मिश्रा के घर के सामने से विद्या मन्दिर स्कूल तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.13	5.565
2	तदैव	तदैव	मु0 पटेल नगर में कल्लू नाउ के घर से मेन रोड तक दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	22.43	11.215
3	तदैव	तदैव	मु0 पटेल नगर में जोगिन्दर यादव के घर के आगे नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.24	5.62
4	तदैव	तदैव	मु0 पटेल नगर में आनन्द के घर से कल्लू नाउके घर के दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	22.74	11.37
5	तदैव	तदैव	मु0 प्रताप नगर में चन्द्र प्रकाश के घर से राम प्रकाश पाण्डेय के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	22.76	11.38
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 14 अशोक नगर में जलकल पम्प से बी0आर0सी0 तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.54	7.77
7	तदैव	तदैव	मु0 प्रताप नगर में सरस्तवी शिशु मन्दिर पोखरे से अलिन पाठक के मोड तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	34.15	17.075
8	तदैव	तदैव	मु0 प्रताप नगर में रविन्द्र पाठक के घर से गिरीश कुमार के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	31.12	17.06
9	तदैव	तदैव	मु0 प्रताप नगर रविन्द्र पाठक के मोड से मास्टर के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.09	8.545
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं 16 में शास्त्री नगर में नलकूप से बन्धे के नीचे तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	22.66	11.33
11	तदैव	तदैव	मु0 पटेल नगर में पुरववा में उच्चोकरण एवं इण्टरलाकिंग तथा दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	35.76	17.88
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 05 अम्बेडकर नगर में पाण्डेय होटल से रानी गंज चौराहे तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	35.52	17.76
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 14 अशोकनगर में प्राथमिक विद्यालय से	15.49	7.745

		भिरगू मिश्रा के घर तक इण्टरलकिंग निर्माण कार्य।		
योग			300.63	150.315

(रूपये एक करोड़ पचास लाख इकतीस हजार पांच सौ मात्र)

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>